निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :— 81/2017 दावा
दायरा दिनांक :— 27.04.2017
निर्णय दिनांक :— 18.05.2017

उनवान

1. जमनालाल पुत्र लटूरलाल जाति मीना निवासी लाडपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां
2. बून्दाबाई पत्नी जमनालाल जाति मीना निवासी लाडपुरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 18.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि ख0नं0 652 रकबा 13.05 बीघा, मौजा गोरधनपुरा में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है तथा आराजी ख0नं0 651 रकवा 4 बीघा वाके ग्राम गोरधनपुरा में स्थित हैं जो वादी क्रम 1 के खातेदा में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संवन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवा बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लि प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 0 04.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रय किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। व कारण प्रथम बार दिनांक 05.04.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जब कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का स ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया ग पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस किये गये। वादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराज सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार क विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। वादीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी की करवाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधपुरा सम्वत 2066–69 खाता संख्या 124 के ख0नं0 652 रकबा 13.05 बीघा जमनालाल पुत्र लदूरलाल, बृन्दाबाई पत्नी जमनालाल जाति मीना निवासी लाडपुरिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम गोरधपुरा सम्वत 2066–69 खाता संख्या 121 के ख0नं0 651 रकबा 04 बीघा जमनालाल पुत्र लदूरलाल जाति मीना के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी की पैमाईश कराना चाहते है जिससे पड़ौसी काश्तकार व खातेदारो से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी की पैमाईश कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प दीगोद खालसा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा के ख0नं0 652 रकबा 13.05 बीघा, ख0नं0 651 रकबा 04 बीघा, की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner